

19<sup>07</sup>/<sub>23</sub>

प्राची के अधिवक्ता इवाहित । अधिवक्ता  
प्राची द्वारा नोट प्रेस प्लीड करते हुए  
प्राचीना पत्र पर हागे मही चलाना  
चाहते हैं, लिहाजा प्राची का यह  
प्राचीना-पत्र हिदम पैली में इसी प्रक  
में खारिज किया जाता है पत्रावली  
निर्णय शुभाह होकर नम्बर ले ७५  
हो व दायित्व दफ्तर है । अधिवक्ता  
न्यायालय का कमिलेज कोदरा की  
सत्यप्रति के साथ लोराया जाता है ।

Note press  
4-4-23

जिला कलक्टर  
बाडमेर